बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-जी0/बी0डी0-2-20-03/2019........1195(भ)........पटना, दिनांक.....23/2/21.....

'शुद्धि पत्र'

अराजपत्रित आवास आवंटन समिति की दिनांक–04.12.2020 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–01–सह–पठित ज्ञापांक–80(भ), दिनांक–06.01.2021 द्वारा अराजपत्रित श्रेणी का आवास आवंटित किया गया था। लिपिकीय भूलवश विधान परिषद् और जिला समाहरणालय पूल का आवास निम्नांकित कर्मियों को आवंटित हो गये थे जिसे संशोधित करते हुए राजवंशीनगर स्थित केन्द्रीय पूल का आवास आवंटित किया जाता है:–

क्र.	Reg. No.	नाम / पदनाम	विभाग का नाम	पूर्व आवंटित आवास	नव आवंटित आवास
1.	BN5030	श्री लोकेश कुमार, सहायक	सामान्य प्रशासन विभाग	81 / 400	353 / 400
2.	BN5039	श्री नन्द कुमार, सहायक	निगरानी विभाग	97 / 400	38 / 400
3.	BN4979	श्री संजीव कुमार, कार्यालय परिचारी	लोक स्वा0 अभियंत्रण विभाग	32 / 100 सेट, आर ब्लॉक	131 / 400

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. आवंटियों से अनुरोध है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार तीस दिनों के अन्दर ग्रहण करें। साथ ही आवास का प्रभार लेते समय वे कार्यपालक अभियंता को शपथ पत्र के रुप में सूचना देंगे कि–मुझे या मेरे परिवार के सदस्य के नाम से कार्यालय के आठ किलोमीटर की परिधि में अपना कोई मकान नहीं है।

4. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के तीस दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–1292(भ) दिनांक 01.03.1997 के नियम–6 (ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारी / कर्मचारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

5. आवंटी आवास का प्रभार लेते समय परिचय–पत्र दिखलायेंगे तथा प्रशाखा में संधारित पंजी में अपना नाम, पदनाम, नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि एवं सेवा निवृत्ति की तिथि की प्रविष्टि करेंगे।

6. आवंटनादेश में किसी तरह की त्रुटि का निराकरण प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

7. जर्जर आवासों के मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राथमिकता के आधार पर उसकी मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी तरह की दुर्घटना की पूरी जबावदेही संबंधित केयरटेकर, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता की होगी।

8. स्वास्थ्यगत कारणों के चलते आवास परिवर्तन को इच्छुक आवासियों को अपने अभ्यावेदन के साथ संबंधित आवश्यक मान्य चिकित्सा प्रमाण पत्रों को संलग्न करना होगा।

9. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

22/2

(विनय कुमार)

उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

D: Seema/karyalay Adesh/ 130

ज्ञापांक–जी./बी.डी.–2–20–03/19 1195 (भ) पटना, दिनांक– 23/2/24

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, कर प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, (दानापुर), पटना/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना/निदेशक(तकनीकी), एन0आई0सी0, पटना/संबंधित सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग/विद्युत कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पेसू, पटना/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग/कनीय अभियंता ई–निवास, भवन निर्माण विभाग/संबंधित आवंटियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2

उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।

22/2/24

D: Seema/karyalay Adesh/ 131